न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 16/2018 जिला सीकर

कजोडमल (मृतक)

1/1. विमला देवी पत्नी कजोडमल
1/2. सुरेश कुमार पुत्र कजोडमल
1/3. सुनील कुमार पुत्र कजोडमल
1/4. कमलेश कुमार पुत्र कजोडमल समस्त जाति गुर्जर कुम्हार, निवासी ढोलास तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
1/5. तारामणी पुत्री कजोडमल पत्नी मोहनलाल बनाई निवासी मु0 पो0 बगडी, तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
1/6. द्रोपती देवी पुत्री कजोडमल पत्नी बाबूलाल कटलातर तहसील सीकर जिला सीकरं।
1/7. सुशीला देवी पुत्री कजोडमल पत्नी राधेश्याम ठिंगोली तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
1/8. कंचन पुत्री कजोडमल
1/9. सरिता पुत्री कजोडमल
1/10 शिल्पा पुत्री कजोडमल समस्त जाति गुर्जर कुम्हार निवासी ग्राम ढोलास तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।

–अपीलान्टस

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
2. गंगाराम पुत्र चतराराम जाति मेघवंशी
3. जिनकू देवी (नाम हजफ)
4. सुवटी देवी
5. चन्द्रा देवी
6. सोहनी देवी पुत्रियॉ चतराराम समस्त जाति मेघवंशी
7. पुष्पराज पुत्र गोपाल जाति कुमावत निवासी ढोलास तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ दिनांक 29.07.2016 जिसके तहत् प्रार्थना पत्र धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया।

उपस्थित–

1. श्री श्यामबाबू पारीक वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1
3. श्री राजाराम चौधरी रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 6 की ओर से

निर्णय

दिनांक –02.08.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 29.07.2016 के खिलाफ प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के साथ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

Scanned by CamScanner

ग्राम ढोलास तहसील लक्ष्मणगढ में स्थित भूमि खसरा नं. 52 रकबा 4.01 है0 जिसका सीमाज्ञान दिनांक 22.10.2011 को तहसीलदार लक्ष्मणगढ के आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर किया गया जिसका बंटवारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में किया जा चुका था। उक्त आराजी के नये खसरा नं. 52/1 रकबा 1.98 है0 का बंटवारा होकर नक्शे में तरमीम हो चुका है जिसके रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 6 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 गंगाराम पुत्र चतराराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नं. 52/1 रकबा 1.98 है0 की दक्षिणी सींव (सडक के दक्षिण साईड) सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार लक्ष्मणगढ को भूमि खसरा नं. 52/1 रकबा 1.98 है0 की सीमाज्ञान दिनांक 22.10.2011 के अनुसार नियमानुसार पक्षकारान् को समुचित नोटिस जारी कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया।

उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 29.07.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री कजोडमल पुत्र गोपाल द्वारा यह अपील परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 29.07.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वह खसरा नं. 52 रकबा 4.01 है0 ग्राम ढोलास की है जबकि पत्थरगढी हेतु आवेदन खसरा नं. 52/1 रकबा 1.98 है0 का है जिसकी सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्रावली में मौजूद नहीं है। प्रार्थी व रेस्पो. संख्या 7 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं 128 ग्राम ढोलास के उत्तरी साईड कोने में प्रार्थी के आवासीय मकान बने हुये हैं जिनके दरवाजे उत्तरी तरफ स्थित सडक की तरफ खुलते हैं जहॉ से वे अपने अपने मकान में आवागमन करते हैं एवं सामने आम सडक है। अप्रार्थी द्वारा घर का दरवाजा व आवगमन बंद करने की नियत से यह पत्थरगढी का आवेदन किया गया है अगर अप्रार्थी के कथनानुसार पत्थरगढी कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी का अन्य कोई रास्ता न होने के कारण आवागमन का रास्ता सदैव के लिए बंद हो जावेगा। अप्रार्थी द्वारा गलत तरीके से साज करके, नोटिस दिये बिना एवं प्रार्थी की गैरमाजूदगी में सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार करवाई है जो कि सडक के मध्य से खसरा नं. 128 के लगती हुई सींव की दूरी को नापकर सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 29.07.2016 निरस्त किया जावे।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम ढोलास तहसील लक्ष्मणगढ में स्थित भूमि खसरा नं. 52 रकबा 4.01 है0 जिसका सीमाज्ञान दिनांक 22.10.2011 को तहसीलदार लक्ष्मणगढ के आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर नियमानुसार किया गया जिसका बंटवारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में किया जा चुका था। उक्त आराजी के नये खसरा नं. 52/1 रकबा 1.98 है0 का बंटवारा होकर नक्शे में तरमीम हो चुका है जिसके रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 6 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। खसरा नं. 52/1 की दक्षिण सींव के सहारे अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं. 128 स्थित है जो कि बेदखल करने की नियत से सींव को खुर्द बुर्द कर रहे हैं। अपीलांट के दरवाजे उत्तरी तरफ स्थित सडक की तरफ खुलते हैं जहॉ से वे अपने अपने मकान में आवागमन करते हैं एवं सामने आम सडक है। इससे अपीलांट का रास्ता बाधित नहीं

Scanned by CamScanner

होता है और ना ही सीमायें मकानों से छूती हुई हैं जबकि रेस्पो. ने नियमानुसार ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमाज्ञान अनुसार अपनी खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.07.2016 के अनुसरण में पत्थरगढी की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अपीलांट ने बेदखल करने एवं सींव को खुर्द बुर्द करने की नियत से श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट द्वारा अपील करने की गलत जानकारी होने से माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी को दिनांक 23.08.2016 को किया जाना अवगत कराया जो क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण दिनांक 31.01.2018 को खारिज किया जाना अवगत कराया। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी गंगाराम द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 52/1 की पत्थरगढी करवाने हेतु आवेदन किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.07.2016 के द्वारा विवादित आराजी खसरा नं. 52/1 का सीमाज्ञान दिनांक 22.10.2011 के अनुसार नियमानुसार पक्षकारों को नोटिस जारी कर पत्थरगढी करने के आदेश दिए गए। इस न्यायालय में अपीलांट कजोडमल खसरा नं. 128 के खातेदार काश्तकार है। इस न्यायालय में अपीलांट कजोडमल ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश करते हुए स्वयं यह कथन किया है कि प्रार्थी की जमीन की सीमा खसरा नं. 128 को छूती हुई नहीं है बल्कि प्रार्थी की भूमि प्रार्थीगण 2 व 3 की भूमि के मध्य से पक्की सडक गुजरती है जिसके खसरा नं. अलग है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेण्ट के खेतों की सीमाएँ लगती हुई नहीं है बल्कि बीच में पक्की सडक मौजूद है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह विधिक प्रावधानों के तहत अपनी कृषि भूमि की पैमाइश एवं पत्थरगढी करा सकता है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपने विधिक अधिकारों के तहत् निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर पत्थरगढी करने का आदेश दिया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि जाहिर नहीं होती है। उक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 29.07.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner